अति महत्वपूर्ण / आवश्यक

संख्या-38 / 2016 / 1585 / 60-2-16-2 / 1(139) / 95

प्रेषक,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 31 मई, 2016

विषयः जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या एम-64/60-2-12-2/1(139)/95 दिनांक 08.06.12, जिसके द्वारा जनपद में नियमित जिला कार्यक्रम अधिकारी तैनात न होने की दशा में जनपद के वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी को अपने कार्य के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिये जाने की व्यवस्था की गई है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि शासन के उक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में 10 जनपदों में अन्य विभाग के अधिकारियों को जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि जनपदों में नियमित जिला कार्यक्रम अधिकारी न होने की स्थिति में जिलाधिकारीगण द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार जल्दी-जल्दी परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण विभागीय कार्य प्रभावित होता है। उक्त के अतिरिक्त शासन तथा निदेशालय स्तर पर होने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों में गैर विभागीय अधिकारी उपस्थित नही होते हैं, जिसके फलस्वरूप बैठकों में दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। यह स्थिति उचित नहीं है तथा शासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है।

3 इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपदों में नियमित जिला कार्यक्रम अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में तत्समय कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संस्थित न हो, को ही उनकी परियोजना के कार्य के साथ-साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाय। इस हेतु उन्हें अन्य कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा और न ही जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर उनका क्लेम (दावा) होगा। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विचलन का अधिकार जिलाधिकारी को नही होगा और अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के विचलन के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस व्यवस्था में विचलन की स्थिति में संम्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही का विकल्प शासन के पास उपलब्ध रहेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।